

क्रमांक एफ -23 /संस्था-2 /रीपा /2013 /16052-71


दिनांक 10.10.2016

आदेश

ह.च.मा राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 5 के अन्तर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है

क.स	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	रीपा जयपुर	उप निदेशक (प्रशासन)	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
2.	रीपा उदयपुर	उप निदेशक (प्रशासन)	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
3.	रीपा कोटा	उप निदेशक (लेखा)	अतिरिक्त निदेशक (लेखा)
4.	रीपा जोधपुर	उप निदेशक (लेखा)	अतिरिक्त निदेशक (राज्य बीमा)
5.	रीपा बीकानेर	सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र)	अतिरिक्त निदेशक (लेखा)

यह आदेश पूर्व के समस्त आदेशों के अतिक्रमण में जारी किये जाते हैं। यह आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावी होंगे।

  
(गुरजोत कौर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण)  
एवं महानिदेशक रीपा,  
दिनांक 10.10.2016

क्रमांक:-एफ-23/संस्था-2/रीपा/2013/16052-71


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) ह.च.मा रीपा जयपुर
2. उप निदेशक (प्रशासन) ह.च.मा रीपा जयपुर एवं लोक सूचना अधिकारी रीपा जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) ह.च.मा रीपा उदयपुर
4. अतिरिक्त निदेशक (लेखा) ह.च.मा रीपा कोटा
5. अतिरिक्त निदेशक (लेखा) ह.च.मा रीपा बीकानेर
6. अतिरिक्त निदेशक (बीमा) ह.च.मा रीपा जोधपुर
7. समस्त लोक सूचना अधिकारी, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर /कोटा /बीकानेर/ जोधपुर।
8. समस्त संकाय सदस्य, रीपा जयपुर / उदयपुर /कोटा /बीकानेर/ जोधपुर।
9. निजी सचिव, महानिदेशक, रीपा, जयपुर।
10. कार्यालय अधीक्षक (संस्थापन), रीपा, जयपुर।
11. सूचना पट्ट रीपा जयपुर एवं समस्त क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र।
12. गार्ड फाईल।

क्रमांक (एफ/2) रीपा/2013/ 21238 दिनांक 14/3/18

अतिरिक्त प्रो. आई सी बेब साइड

के वेब साइड पर उल्लिखित करने हेतु जेधिल डी.

  
(पुरुषोत्तम शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
एवं विभागाध्यक्ष, रीपा

  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)  
एवं विभागाध्यक्ष  
ह.च.मा. राजस्थान  
जयपुर (कोड नं. 10200)